न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 40/18 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00166

उनवान

1. रघुवीर पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम समौना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. माताप्रसाद पुत्र जौमदार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम समौना।
2. मुकेश पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राहम्ण हाल आबाद मकान नम्बर 303, शिवाजी मार्ग, गली नं0 01 करतार नगर दिल्ली।
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजाखेडा जरिये प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 11.05.2018 प्र.संख्या 54/16 उनवानी रघुवीर बनाम माताप्रसाद।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–13.07.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सिंकदरपुर, समौना, वसई धियाराम में वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 01 का ग्राम सिकंदरपुर की आराजी में कोई हित निहित नहीं है। परन्तु वह उक्त आराजी पर जवरन काश्त करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर एवं धौलपुर

डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनायें अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य कोई सहमति नहीं बनी, फिर भी पक्षकारो की सहमति लिखते हुये पक्षकारो के मध्य विवाद के बिन्दुओं को तय किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई प्राथमिक डिक्री पारित ना करते हुये, सीधे ही प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित कर दी, जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पक्षकारो के मध्य हुये राजीनामा/समझौता का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की गयी है, केवल धारा 188 पर ही निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रंमाक 01 ने जवाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाव दावा एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार दावा एवं जवाव दावा के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित करना होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2018 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं प्रकरण में दावा एवं जवाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर, प्रथमतः दावे में प्राथमिक डिक्री पारित करने तत्पश्चात तहसीलदार से विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में, विभाजन प्रस्ताव तलव करते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.08.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित

होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाना दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर